



भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
Government of India/Ministry of Finance
प्रधान आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा-कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
Office of the Principal Commissioner, Central GST & Central Excise
केंद्रीय राजस्व भवन - 5, मेन रोड, रांची - 834001
Central Revenue Building-5, Main Road, Ranchi- 834001
दूरभाष न. (0651) 2330218, फैक्स न.(0651)2332420
Email:commr-cexranchi1@nic.in, comm.raanchi@icegate.gov.in



विरमन आदेश

दिनांक: .01.2024

कार्यालय आदेश संख्या 1/2023 दिनांक 21 दिसम्बर 2023 को F.No.A-32012/10/2023-AD.IIA I/79437/2023, के तहत भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा निर्गत स्थानांतरण आदेश के आलोक में निम्नलिखित मुख्य लेखा अधिकारी को उनके नए पदस्थापन स्थान में योगदान देने के लिए निर्देश के साथ दिनांक 05.01.2024 (अपराह) से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र सं	मुख्य लेखा अधिकारी का नाम (श्री)	जन्म की तारीख	पदस्थापन का वर्तमान स्थान	को पदस्थापित किया गया
1.	संजय एमिल भेंगरा	15.12.1972	केंद्रीय माल एवं सेवा कर, धनबाद उप-आयुक्तालय, धनबाद	सीमा शुल्क (निवारण) पटना जोन

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

प्रमोद चन्द्र सुशी
04.01.2024
सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)
केंद्रीय माल एवं सेवा कर रांची (मु.)।

Date: .01.2024

C.No. II(1)17-ET/GR.'A'/COMMR/RNC/22/ 96

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. संजय एमिल भेंगरा, मुख्या लेखा अधिकारी, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, धनबाद उप-आयुक्तालय, धनबाद, को उनके प्रभार का उचित हस्तांतरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।
2. डी.जी (एच.आर.डी), डी.जी.एच.आर.डी, नयी दिल्ली।
3. अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) पटना जोन।
4. प्रधान आयुक्त के निजी सचिव, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची (मु.) ।
5. अपर आयुक्त (सी.सी.ए), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची जोन, पटना।
6. अपर आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची।
7. संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, धनबाद उप-आयुक्तालय धनबाद।
8. पीएओ/सीएओ सी जी एस टी और सीए क्स रांची।
9. अधीक्षक (सिस्टम), सीजीएसटी और सीएक्स रांची। उनसे अनुरोध है कि तत्काल आदेश को आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

प्रमोद चन्द्र सुशी
04.01.2024
सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)
केंद्रीय माल एवं सेवा कर रांची (मु.)।